प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26 मई 2026

पावर हाउस जवाहर मार्केट में निगम की बड़ी कार्रवाई, सड़क पर सामान फैलाने वाले 26 व्यापारियों से वसूला जुर्माना भिलाईनगर।

नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देशानुसार आज पावर हाउस जवाहर मार्केट क्षेत्र में यातायात को बाधित करने वाले और दुकान के बाहर सामान निकालकर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी चालानी कार्रवाई की गई। अव्यवस्था के संबंध में निगम आयुक्त को लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी । निगम की टीम ने कार्रवाई करते हुए ऐसे 26 व्यापारियों पर अर्थदंड लगाया, जिनसे कुल 13,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। कार्रवाई के दौरान निगम प्रशासन द्वारा सभी व्यापारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी दुकानों का सामान सीमा के भीतर ही रखें। किसी भी परिस्थिति में नाली के बाहर या सड़क पर सामान न फैलाएं। नाली को छोड़कर ही दुकान लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बाजार में आने वाले नागरिकों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।

जवाहर मार्केट शहर का एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। सभी व्यापारी निगम का सहयोग करें और स्वेच्छा से सड़कों व नालियों को अतिक्रमण मुक्त रखें। उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

कार्यवाही के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, सहायक उड़न दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता एवं राजस्व टीम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

संलग्न फोटो जनसंपर्क अधिकारी